संख्या – 1993 / 1–10–2009–14(23) / 2004

प्रेषक,

एस0 एन0 शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. जिलाधिकारी,
फैजाबाद, सीतापुर एवं बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 2009

विषय: राजस्व विभाग द्वारा क्रय की गयी मोटर बोट की मरम्मत हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि संभावित बाढ़ राहत कार्यो की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक से प्राप्त प्रस्ताव के दृष्टिगत आपदा राहत निधि के लिए लागू शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय राजस्व विभाग द्वारा क्रय की गयी मोटर बोट की मरम्मत हेतु निम्नांकित धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

| क्रमांक | जनपद / विभाग का नाम | पत्र संख्या एवं दिनांक | आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | फैजाबाद | 194 / सी0आर0ए0–13(राहत) / 2009–10, दिनांक 2.5.2009 | 10,000 / – |
| 2 | सीतापुर | तेरह–सी0एफ0– / दै0आ0 / मोटरबोट / 2009–10 / राहत, दिनांक 20.5.09 | 1,25,000 / – |
| 3 | बाराबंकी | 605 / आपदा राहत–सा0प0–08–09, दिनांक 26.5.09 | 1,06,000 / – |
| 4 | पी0ए0सी0 | अर्द्धशा0प0सं0–डी0जी0–आठ–99(99) –2009, दिनांक 1.6.2009 | 15,55,331 / – |
| | | योग : | 1796331 / – |
| | | (रूपये सत्रह लाख छियानब्बे हजार तीन सौ इक्तीस मात्र) | |

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में क्रय की गयी मोटर बोट की मरम्मत पर ही व्यय किया जायेगा। उक्त मोटर बोट की मरम्मत का कार्य स्थानीय स्तर पर विद्युत यान्त्रिक डिवीजन, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर एवं पी0ए0सी0 हेतु आवंटित धनराशि का समुचित लेखा–जोखा पी0ए0सी0 मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के स्तर पर रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को **दिनांक 15 अगस्त, 2009 तक** अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा लिया जाय। आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट www.rahat.up.nic.in/rahat.2.html पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. शासन द्वारा उक्त आवंटित धनराशि में से व्यय उपरान्त अवशेष धनराशि **दिनांक 30 अगस्त, 2009 तक** अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को दिनांक 30 अगस्त, 2009 तक उपलब्ध कराया जाय।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एस0 एन0 शुक्ला)
राहत आयक्त एवं सचिव

संख्या – 1993(1) / 1–10–2008–14(23) / 2004, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद एवं लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी० मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, फैजाबाद, सीतापुर, बाराबंकी एवं जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / बजट सहायक राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग–6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।